न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 05.08.2021

प्रकरण संख्या 50/2021

GCMS CASE NO-2020/00055

रामेश्वरी पत्नी दूदाराम जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
—प्रार्थीया

बनाम

1. मुखराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
—अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थितः–
1. श्री अशोक कुमार छाबडा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक : 23.10.2024

–:: निर्णय ::–

शिकायत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के पति दूदाराम को रोही अमरपुरा जाटान के खसरा न. 180 में 20.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर अलॉट हुई थी जिसका नवीनीकरण प्रार्थीया के पति के पक्ष में होता रहा है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि मुझ प्रार्थीया के कब्जा काश्त में रही। प्रार्थीया एक विधवा व वृद्व औरत होने के कारण स्वयं काश्त नही कर सकती थी जो कि कानूनन छूट प्रदत्त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि हिस्सा ठेका पर अप्रार्थी संख्या 01 मुखराम को काश्त हेतु दे रखी थी। अप्रार्थी संख्या 01 प्रतिवर्ष प्रार्थीया को हिस्सा ठेका की राशि देता आ रहा था। उसके मन में बदनियति आने के कारण प्रार्थी की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त भूमि अपने नाम से तजबीज करवा ली। जबकि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को भूमि तबादला देने का या तजबीज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 मुखराम को रोही अमरपुरा जाटान के ख.न. 149/2 में 20.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर अलॉट हुई थी जिस पर वह लगातार काबिज रहा है, जिसकी ऐवज में यह कहकर की खसरा न. 149/2 की भूमि आवंटन हो चुकी है, इसलिए खसरा न. 180 की 20.00 बीघा भूमि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से तजबीज करवा ली। जबकि खसरा न. 149/2 में आज भी 20.00 बीघा भूमि रकबा राज पडी है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 04.09.1998 को खसरा न. 180 की 20.00 बीघा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें 8.00 बीघा भूमि विरास्तन आने का जिक्र किया है जबकि उसके स्वयं के नाम से चक 38 पीबीएन में 7.10 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है जिसमें कब्जा काश्त भी है। इसके अलावा अप्रार्थी की माता रामीदेवी पत्नी रामसुख के नाम से चक 38 पीबीएन में 7.10 बीघ भूमि में भी अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा बनता है। इसके अलावा अप्रार्थी की माता के नाम से रोही अमरपुरा जाटान में 25.00 बीघा भूमि थी जिसका बेचान पूर्व में किया जा चका है। उक्त पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र पर माननीय उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 14.09.2007 को 17.10 बीघा भूमि का पात्र मानते हुए पुख्ता आवंटन की गई। दिनांक 14.09.2007 का आवंटन विधि विरूद्व होने के कारण पत्रावली दिनांक 21.09.2007 को पुनः पेशी में लेकर पूर्व आवंटन दिनांक 14.09.2007 निरस्त कर दिया गया और यह पाया कि अप्रार्थी को खसरा न. 149/2 में भूमि आवंटन है। खसरा न. 180 की भूमि पर लिछमा पुत्री जमना का कब्जा काश्त पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 का मुखराम का कब्जा काश्त नहीं होना पाया गया। अप्रार्थी के खसरा न. 149/2 की बजाय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

खसरा न. 180 की 20.00 भूमि फिटिंग करवाई है जो कि नियम विरूद्व है। खसरा परिवर्तन नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा ही किया जा सकता है इसके अलावा अप्रार्थी का लिछमा के साथ फिटिंग संबंधी वाद जैरकार है। न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2007 से व्यथीत होकर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा एक अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलाधीन आदेश की पालना रोक दी गई एवं उक्त अपील दिनांक 26.08.2011 को निर्णित करते हुए पुनः जांच हेतु प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ को रिमाण्ड कर दिया गया। उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 17.02.2012 को पत्रावली पुनः पेशी में लेकर बिना कोई जांच किये दिनांक 16.07.2012 को अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। उक्त आवंटन जारी किया जाने से ना तो मुझ प्रार्थीया को सुना गया और ना ही लिछमा देवी पत्नी विशाल सिंह को सुना गया। महज एकतरफा तौर पर पूरी कार्यवाही कर दी गई। आवंटन सलाहकार समिति की राय लिये बिना ही उक्त आवंटन किया गया है जो कि विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमायें

प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार छाबडा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू एवं अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि शिकायत प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात जो शिकायत के पक्ष में हो, वही मेरी बहस है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी ने दौराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के पति को आवंटित रकबा दिनांक 06.01.1992 को तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसके पश्चात उक्त आदेश के विरूद्व किसी प्रकार की कोई चाराजोही प्रार्थीया तथा प्रार्थीया के पति द्वारा नहीं की गई एव ना ही ऐसा कोई दस्तावेजात पेश किया गया है। मुझ अप्रार्थी द्वारा कभी भी अपीलांट की भूमि काश्त हेतु ठेका पर नहीं ली गई तथा ना ही कभी ठेका राशि दी गई। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को रोही अमरपुरा जाटान के ख.न. 149/2 में 20.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर अलॉट हुई थी। आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा रकबा बताया गया जिसके अनुसार आवंटिति काबिज हुआ और भूमि को तौड कर काबिज काश्त बनाया, जिस पर अप्रार्थी को लाखों रूपये खर्च करने पडे। जब मुझ अप्रार्थी को ज्ञान हुआ कि मुझे आवंटित रकबा तो खसरा न. 149/2 के स्थान पर खसरा न. 180 में 20.00 बीघा कब्जा दिया गया है जिसकी जानकारी होने के पश्चात दुरूस्ती की कार्यवाही सन 1988 में तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष शुरू कर आगे शासन सचिवालय, उपनिवेशन विभाग जयपुर को पत्राचार किया गया । उपनिवेशन विभाग द्वारा दुरूस्ती नहीं होने तक मुझ अप्रार्थी को मौका से बेदखल नहीं करने के आदेश जारी किये गये। मुझ अप्रार्थी द्वारा आवंटन के समय किसी भी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन अधिकारी से नहीं छिपाये गये। प्रार्थी को अपने पिता व माता से नोशनल शेयर के रूप में 7.10 बीघा भूमि हिस्सा में आने के कारण पुख्ता आवंटन के समय 20.00 बीघा के स्थान पर 7.10 बीघा भूमि ही आवंटित की गई शेष 2.10 बीघा भूमि अधिशेष कर दी गई। अप्रार्थी के खसरा परिवर्तन की पूर्णतः जानकारी आवंटन प्राधिकारी को होने पर दिनांक 17.03.2008 को अप्रार्थी का पुख्ता आवंटन का प्रार्थन पत्र खारिज किया गया जिसके विरूद्व अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर समस्त तथ्यों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.07.2012 को पुख्ता आवंटन कर किश्ते जमा करवाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी द्वारा समस्त किश्ते राजस्व कोष में जमा करवाई जा चुकी है। अप्रार्थी के पास खसरा न. 149 का कब्जा कभी भी नहीं रहा एव ना ही वर्तमान समय में है। अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त आवंटित रकबा पर ही काश्त की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। मात्र अप्रार्थी से रंजिशवश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त फरमाया जावे। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2017 पेज 27, आरबीजे 2017 पेज 31, आरआरडी 2013 पेज 582 की ओर ध्यान दिलाया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजता एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता है। प्रार्थीया के पति को आवंटित रकबा दिनांक 06.01.1992 को ही निरस्त किया जा चुका है, जिसकी जानकारी प्रार्थीया को पूर्ण रूप से है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतःलागू होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23 .10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner